



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर एक्ट में 03 अभियुक्त को 02-02 वर्ष के कारावास व ₹15,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जरिया में पंजीकृत मु0अ0सं0-284/2012 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय गैंगस्टर कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.बलवान उर्फ बाबा पुत्र राजाभईया निवासी भेड़ीडांडा थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर 2.सन्तराम उर्फ कृष्ण कुमार पुत्र पन्नालाल निवासी अलकछवा थाना जरिया हमीरपुर 3.विनोद पुत्र लल्लू बसोर निवासी ग्राम पतारा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 02-02 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को ₹5,000-5000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी सुशील कुमार  
त्रिपाठी



विवेचक-  
उ0नि0 राकेश कुमार  
सरोज



पैरोकार-  
थाना जरिया  
का0 पंकज कुमार